न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 22 / 2021

महेशचन्द पुत्र फूलचन्द, ए–86, रनजीत नगर भरतपुर ।

बनाम

उपखण्ड अधिकारी भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 26.02.2021**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट महेशचन्द पुत्र फूलचन्द, ए–86, रनजीत नगर भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 28.12.2020 उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से सूचना चाही गई थी । उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 158 दिनांक 18.02.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संवध में उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से उनके पत्र क्रमांक / 373 दिनांक 23.02.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से सूचनांऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है । उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक 373 दिनांक 23.02.2021 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनांऐं उपलब्ध करा दी गई हैं। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने अपने जबाब की ताईद में पत्र क्रमांक 66 दिनांक 14.01.2021 की प्रति भी भिजवाई गई है। रेस्पो. ने अपीलांट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को भी भेजी जावे।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर